(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां ।

(ख) कर्णधार समिति ने सिफारिश की है कि भिलाई इस्पात कारखाने की 2.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 3.2 मिलियन टन इस्पात पिण्ड तक किया जाय । चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय सरकार इस सिफारिश पर विचार करेगी ।

**छोटे ट्रेक्टरों का निर्माण**

* 700. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे ट्रेक्टरों की मांग तथा उपयोगिता को ध्यान में रख कर स्वयं देश में उन का निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो ये ट्रेक्टर किसानों को कब तक मिलने लगेंगे; और

(घ) प्रति वर्ष कितने छोटे ट्रेक्टर बनाये जायेंगे तथा एक ट्रेक्टर का मूल्य क्या होगा ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख) देश में छोटे ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए उठाए गए पग निम्न प्रकार हैं:—

(1) नये एककों और विशेषकर छोटी अश्व शक्ति वाले ट्रेक्टरों को बनाने वाले एककों की शीघ्र स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेक्टर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है । लाइसेंसीकरण से मुक्त होने के परिणामस्वरूप छोटे ट्रेक्टरों के निर्माण की चार योजनाएं प्राप्त हुई है । इनमें से एक योजना को सिद्धांत रूप से स्वीकृत कर लिया गया है ।

(2) 20 अश्व शक्ति के ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) छोटे ट्रेक्टरों की कोई भी योजना अभी उस अवस्था को नहीं पहुंची है कि इसमें निर्माण कार्य अथवा उत्पादन प्रारम्भ हो सके । अतः इस अवस्था में यह बताना अत्यन्त कठिन होगा कि कब यह ट्रेक्टर किसानों को उपलब्ध हो सकेगा ।

(घ) विचाराधीन गैर-सरकारी क्षेत्र की चारों योजनाओं और सरकारी क्षेत्र की एक योजना की कुल क्षमता लगभग 50,000 प्रति वर्ष है । इस समय यह बता सकना कठिन होगा कि इन ट्रेक्टरों का बिक्री मूल्य क्या होगा ।

**Loan for Bhadravati Steel Plant**

*701. SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI N. R. LASKAR :

Will the Minister of SEEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the German Reconstruction Loan Corporation has agreed to give an additional loan of Rs. 3 crores to the Bhadravati Steel Plant in Mysore;

(b) if so, whether the loan is meant to finance the import of balancing equipment for the alloy steel plant; and

(c) if so, total loan given so far by them for the Plant ?

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise at present.

(c) The Mysore Iron and Steel Limited has so for received three loans from the German Corporation aggregating to DM 87.9 million i.e. Rs. 16.57 crores.

**औद्योगिक सलाहकार समिति की सिफारिशें**

* 702. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक सलाहकार समिति से गत जुलाई में क्या-क्या सुझाव और सिफारिशें प्राप्त हुई थी; और

(ख) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख) . सम्भवतः निर्देश उद्योग सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की 2 जुलाई, 1968 को हुई बैठक की ओर है । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण समापटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) तथा (ख) . केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की 2 जुलाई, 1968 को हुई पिछली बैठक में देश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति पर विवेचना की गई और मोटे रूप से कुछ ऐसे अन्य विषयों पर भी विचार किया गया जो कि औद्योगिक नीति से सम्बन्धित थे, जैसे योजना आयोग द्वारा अपने लेख "एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव इयर प्लैन" में दिए सुझाव जिनमें ऐसे उद्योगों के प्रति जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता स्थापित कर ली है के प्रति व्यवहार का रूपे निर्धारित करना और तकनीकी जानकारी के बारम्बार आयात आदि के मामले भी सम्मिलित है । उद्योग तथा अन्य समूहों के प्रतिनिधियों से बैठक में हुई बातचीत काफी कुछ इन विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के रूप की थी । औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन सरकार द्वारा योजना आयोग की अन्तिम रूप से प्राप्त सिफारिशों के पश्चात् तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन जिसके कि शीघ्र प्राप्त होने की आशा है के मिल जाने पर ही किये जायेंगे । बैठक में दिए गए और सुझाव तथा हुई बातचीत जो कि कच्चे माल के सम्भरण, आयात प्रतिस्थापना, निर्यात संवर्धन आदि से सम्बन्धित थी, को सम्बद्ध प्राधिकारियों ने कार्यवाही हेतु नोट कर लिया है ।

**Measures to Safeguard the Interests of Share-Holders of Companies**

*703. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether Government are aware that with the amendments in the Indian Company Law the small share-holders of the Indian Iron and Steel Company have been deprived of their legitimate rights as shareholders ;

(b) Whether Government are also aware that the management, by adopting various means, have been keeping under their own control shares of the company which are normally exhibited as being held for the benifit of the shareholders resulting in an additional income to the management; and

(c) If so, the steps taken/proposed to be taken by Government to safeguard the interests of small share holders of the company ?